

नहीं प्राप्त हो सकती है। यही नहीं, धर्म के इहलौकिक तथा पारलौकिक, भौतिक माध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण एवं य हो सकता है। धर्म क्या है? इसका उत्तर भगवान महावीर ने कहा है कि जो उत्कृष्ट है, वही धर्म है। जो समस्त दोषों, तथा पापों को दूर करके आत्मिक सुख, और संतोष प्रदान करे, वही धर्म है। जो के लिये मंगलमय है, वह उसका धर्म है जो परिवार, समाज, देश और विश्व का नव मंगलमयकारी हो, वह हम सबका शास्त्रों में कहा गया है—

**धम्ममि जो दढमई, सो सूर्रो
सत्तिओ य वीरो य।**

**गहु धम्मणि रूस्साहो पुरिसो
सूर्रो सुबलिओऽवि।।**

जो व्यक्ति धर्म में दृढ़ निष्ठा रखता है, वही धर्म में शूरवीर और बलवान है तथा जो धर्म में निष्ठावान नहीं है, उत्साहीन है, वह धर्म में वीर होते हुए भी कमजोर है। भगवान ने कहा है—

**गमरणवेगं बुद्धिमाणाण पाणिणं।
मोदीवो पड़ट्ठाय, गई सरणमुत्तमं।।**

अर्थात् जन्म और मरण के तेज प्रवाह में

करेगा, वही अपनी आत्मा को कर्म-मल से सम्पूर्णतया रहित करके चिरशान्ति एवं चिर आनन्द की प्राप्ति कर सकेगा। मनुष्य को स्वयं तो धर्म के मार्ग पर चलना ही चाहिए। साथ ही, दूसरों को भी धर्म के सिद्धान्तों पर चलने की प्रेरणा देना चाहिए। इससे जन मानस के बीच दार्शनिक दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है तथा सैद्धान्तिक वाद-विवादों को समाप्त करने में भी मदद मिल सकती है। संतों का कहना है कि कलिकाल में समाज और राष्ट्र में व्याप्त असहिष्णुता को मिटाने का एकमात्र साधन धर्म है जिसके द्वारा विश्वमैत्री के आदर्शों को स्थापित कर पूर्णतः शान्ति स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। भगवान ने कहा कि धर्म ग्रहण करने से व्यक्ति विरक्त और अपरिग्रही बनता है जिससे उसके आत्मसाधना में कोई बाधा व्यवधान नहीं डालती तथा वह जीवन को बहुमूल्य शान्ति को सहज प्राप्त करने में सफल होता है। इसके बाद उसे वह शाश्वत सुख प्राप्त होता है जिसकी धनवान व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि धर्म कर्म से विमुख व्यक्ति को धरती पर ही नहीं बल्कि परलोक में भी शान्ति नहीं मिलती।

— क्रमशः

(प्रस्तुति: राजकमल शर्मा)

देश में खोज कराएं

31 ओडिशा में हैं। बैठक शा सरकार ने कहा कि ई खानों में खोज का काम णों द्वारा दिसंबर तक पूरा

। बैठक में राज्यों से 2018- किए जाने वाले खनिज जना और इस संबंध में तैयारी के बारे में भी के कहा। केंद्र सरकार ने दो साल में पट्टा समाप्त होने पट्टे का नवीनीकरण करने म करने की प्रक्रिया जुलाई करने के लिए कहा था ताकि मी की स्थिति से बचा जा खनिज उद्योग परिसंघ 2020 में पट्टा समाप्त होने चिंता व्यक्त की है।

नना है कि यदि इन खानों वीनीकरण समय पर नहीं भारतीय खनिज उद्योग के ल की उपलब्धता प्रभावित - पीटीआई

आयात शुल्क पर एल्यूमीनियम एसोसिएशन, द्वितीयक उत्पादक आमने-सामने

नयी दिल्ली। एल्यूमीनियम उद्योग के संगठन एल्यूमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) ने सेकेंड्री एल्यूमीनियम उत्पादकों (एल्यूमीनियम कबाड़ गलाकर एल्यूमीनियम बनाने वाली इकाइयों) के इस आरोपों को खारिज किया है कि वह सरकार पर इस धातु और इसके कबाड़ के आयात पर शुल्क बढ़ाने का दबाव बना रही है। एल्यूमीनियम सेकेंडरी मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (एस्मा) के साथ साथ उसके सहयोगी मैटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) और अखिल भारतीय गैर-लौह धातु उद्योग संगठन (एनेमिया) का आरोप है कि एएआई सरकार पर एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क बढ़ाने का दबाव बढ़ा रहा है। इसके लिए वह कबाड़ आयात के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है ताकि इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख कारोबारियों के हितों की रक्षा की जा सके।

आरोप को खारिज करते हुए एल्यूमीनियम के प्राथमिक उत्पादक, एल्यूमीनियम के उत्पाद बनाने वाले विनिर्माता और एल्यूमीनियम में शोध एवं विकास करने वाले संगठनों के संगठन एएआई ने दावा किया कि वह सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप काम कर रहे हैं ताकि आयात पर निर्भरता दूर हो सके। इससे वित्तवर्ष 2017-18 में एल्यूमीनियम के आयात पर व्यय की गई 4.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। एएआई ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को लिखे पत्र में इन आरोपों का खंडन किया है। उसने इन आरोपों को 'दुर्भावनापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, भ्रामक और संकुचित सोचवाला' करार दिया है। एएआई ने कहा कि वह 'मेक इन इंडिया' की पहल में पूर्णतया विश्वास करते हैं ताकि पूरे एल्यूमीनियम उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहे। इसमें एल्यूमीनियम के उत्पाद बनाने वाले विनिर्माता, प्राथमिक उत्पादक शामिल हैं। वह एल्यूमीनियम क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है ताकि आयात पर निर्भरता को खत्म किया जा सके और इससे देश के 4.5 अरब डॉलर की बचत हो सके जो उसने 2017-18 में एल्यूमीनियम के आयात पर व्यय किए। - पीटीआई

गैस निर्यातक बनने की रणनीति शामिल हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक यूएई फिलहाल 35 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन करता है।

- पीटीआई

चीन का माल, सेवा आयात 15 साल में 40,000 अरब डॉलर के पार होगा

बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सोमवार को आयात मेले का शुभारंभ करते हुये कहा कि अगले 15 साल में चीन का वस्तु और सेवा आयात 40,000 अरब डॉलर के पार चला जायेगा। चीन ने शंघाई में आयात एक्सपो का आयोजन किया है, जिसमें भारत समेत 80 देश भाग ले रहे हैं। वाणिज्य सचिव अनूप वाधवा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहली बार चीन अंतरराष्ट्रीय आयात एक्सपो में भाग ले रहा है। प्रदर्शनी में कुल 81 देश भाग ले रहे हैं और चीन के आयात बाजार में पहुंच हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। दुनिया के शीर्ष निर्यातक चीन की अब प्रमुख आयात बनने की योजना है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि चीन का वस्तु एवं सेवा आयात अगले 15 साल में बढ़कर क्रमशः 30,000 अरब डॉलर और 10,000 अरब डॉलर के पार होने का अनुमान है। भारतीय दूतावास में महावाणिज्य दूत प्रशांत लोखंडे ने कहा कि भारत ने प्रदर्शनी में अपना मंडप लगाया है। - एजेंसी



श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489

पंजीकृत कार्यालय: बी-19, लाल बहादूर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)

फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062

वेबसाइट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्युलेशन 2015 के नियम 47 के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 13 नवम्बर, 2018 को सायं 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-19, लाल बहादूर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान) में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए कंपनी के गैर अंशकृत वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी और उन पर सीमित समीक्षा रिपोर्ट रिपोर्टों की जाएगी। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट 'www.shrikalyan.com' और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट 'www.bseindia.com' पर भी उपलब्ध है।

वास्तु श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता./-

नंदिनी पाटीदार

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी



शर्मा ईयू इण्डिया हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्व लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: जयपुर हॉस्पिटल, एस.एस.ए.स्टेडियम के पास, लालकोठी, टॉक रोड, जयपुर

फोन: 0141-2742557, 2742266 - CIN: LB5110RJ1989PLC005206

ई-मेल: sharmaeasindia@gmail.com - वेबसाइट: www.jaipurhospital.co.in

बोर्ड बैठक की सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) रेग्युलेशन 2015 के नियम 47 (1)(ए) के तहत यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार 13 नवम्बर, 2018 को सायं 3.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर अंशकृत वित्तीय परिणामों और अध्यक्ष की अनुमति के साथ अन्य मामलों पर विचार एवं स्वीकृति दी जायेगी। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट 'www.jaipurhospital.co.in' और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट 'www.bseindia.com' पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 5 नवम्बर, 2018

वास्तु - शर्मा ईयू इण्डिया हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्व लिमिटेड

ह. शिव शंकर शर्मा (कंपनी सचिव)



कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक: नियमन/N-14507/2018/06059

दिनांक :- 02/11/2018

आम सूचना

पट्टनद्वारा की वसवारी लाल पुर श्री जडवाय चन्द सारस्वत द्वारा राजस्थान ग्राम मलाना की आरबी सं. 414, 415/1 गैर योजना में भूखण्ड संख्या 94 साईज 30*64=213.33 वर्गगज का नियमन उपखंड अधिकारी (प.रु.), भीलवाड़ा द्वारा कार्याय गया था।

भूखण्डधारी द्वारा भूखण्ड संख्या 94 साईज 30*64=213.33 वर्गगज श्रीमति रंजना कावय पत्नी श्री मुकेश कुमार कावय को विक्रय कर दिया एवं श्रीमति रंजना कावय द्वारा श्रीमति मनपार गौड़ पत्नी श्री रामलक्ष्मण सिंह पौहान को एवं श्रीमति मनपार गौड़ द्वारा श्री मुकेश कुमार पटन पुर श्री जयपुर उल्लो खान पटन एवं श्रीमति फरजना वासमीन पत्नी श्री मुकेश कुमार पटन को एवं श्री मुकेश खान पटन एवं श्रीमति फरजना वासमीन द्वारा श्रीमति मीरा पालीवाल पत्नी श्री कमलकांत कुमार मंगलम पालीवाल को विक्रय कर दिये जाने से न्याय द्वारा उक्त भूखण्ड का नामान्तरण श्रीमति मीरा पालीवाल पत्नी श्री कमलकांत कुमार मंगलम पालीवाल के पक्ष में किया जा चुका है।

श्रीमति मीरा पालीवाल पत्नी श्री कमलकांत कुमार मंगलम पालीवाल के द्वारा उक्त भूखण्ड के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु न्याय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः सर्वसम्बन्ध को सुचारु किया जाता है कि राजस्थान ग्राम मलाना के आरबी सं. 414, 415/1 के भूखण्ड सं. 94 के भवन निर्माण स्वीकृति याचिका यदि किसी भी व्यक्ति या पालीवाल पत्नी श्री उमर/एलता/आरबी हो तो विज्ञापन दिनांक से सात दिवस में अपनी आपत्ति गव सचिव/उपस्थित प्रस्तुत करें। यदि गुरजने निषाद यदि किसी व्यक्ति या सम्बन्धित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जायेगी तथा भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए कर दिया जायेगा तथा न्याय पद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रभारी अधिकारी (भूमि)

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा